न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 16/2002

वादीगणः–

1. श्री अशोक कुमार
2. श्री अरूण कुमार पुत्रगण श्री सोहनराज ओसवाल निवासी वीर दुर्गादास नगर, पाली
3. श्रीमती मीता पुत्री श्री सोहनराज जाति ओसवाल निवासी पाली हाल 1/3 डी–1 मोडल टाउन, नई दिल्ली (भारत)
4. श्रीमती सुचित्रा देवी पुत्री सोहनराज जाति ओसवाल निवासी पाली बी–90 वीर दुर्गादास नगर, पाली (राज0)
5. श्री वरूण कुमार पुत्र श्री सोहनराज ओसवाल निवासी पाली हाल 123 डी–मोहड टाउन, नई दिल्ली (भारत) जरिये आम मुख्तियार श्री करणराज पुत्र श्री भंवरलाल ओसवाल गोलेच्छा निवासी –बी 90 वीर दुर्गादास नगर, पाली (राजस्थान)

बनाम प्रतिवादीगणः–

1. मृतक काना पुत्र झाला जाति बावरी निवासी नयागांव, पाली के कायम मुकामः–
   - 1/1 मेतकी बेवा काना
   - 1/2 भंवरिया वल्द काना
   - 1/3 शंकरिया वल्द काना
   - 1/4 किस्तुरा पुत्र काना
   - 1/5 बिदामी पुत्री काना
   - 1/6 जसोदा पुत्री काना
   - 1/7 राधा पुत्री काना जातिगण बावरी निवासीगण नयागांव, पाली
2. मृतक नरींग उर्फ नरसिंग के पुत्र जालाजी जाति बावरी निवासी नयागांव तहसील पाली के कायम मुकामः–
   - 2/1 सुआ बेवा नरींग उर्फ नरसिंह
   - 2/2 मदन पुत्र स्व0 नरींग उर्फ नरसिंह
   - 2/3 पेमा पुत्र स्व0 नरींग उर्फ नरसिंह
   - 2/4 टिमरिया पुत्र स्व0 नरींग उर्फ नरसिंह जातिगण बावरी निवासीगण नयागांव तहसील व जिला पाली (राज0)
3. मृतक नाथा के कायम मुकामः–
   - 3/1 चेनाराम पुत्र नाथाजी उम्र बालिग
   - 3/2 मूलाराम पुत्र नाथाजी उम्र बालिग
   - 3/3 बंशीलाल पुत्र नाथाजी उम्र बालिग जातिगण बावरी निवासीगण नयागांव पाली तहसील व जिला पाली
   - 3/4 श्रीमती गीता पुत्र नाथाजी जाति बावरी निवासी नयागांव हाल–खारडी (जाडन) तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला–पाली (राज0)
4. कुका पुत्रगण झालाजी जातिगण बावरी
5. श्रीमती केसी विधवा झालाजी जाति बावरी
6. बाबू पुत्र जीता
7. हजारी पुत्र जीता

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

8. मंगला पुत्र जीता
9. शान्ति पत्नि डूंगाराम पुत्री जीता
10. श्रीमति अणचाई विधवा जीता
11. उम्मेदा उर्फ उमेदो पुत्र शंकरजी
12. मिजला पुत्री पुखीया पत्नि शंकरजी
13. श्रीमती हंजा विधवा पुखीया सभी जाति बावरी निवासीगण नयागांव तहसील व जिला पाली (राज0)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदारजी पाली (भूमिधारी)

उपस्थितिः—

1. श्री मदनलाल सोनी विद्वान अभिभाषक वादीगण

वाद अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:आदेश:— दिनांक 11.06.2019

1. वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 539 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा अव्वल पाली सीमा के चक नंबर 2 में स्थित है जिसके पड़ौस उत्तर— खसरा नंबर 538 व 535, दक्षिण— अन्य भूमि खसरा नंबर 544 व 546, पूर्व खसरा नंबर 536 व 537 , पश्चिम— खसरा नंबर 538 व 543 का भाग है। उपरोक्त पड़ौस की भूमि को इस वाद में वादग्रस्त भूमि संबोधित किया जायेगा। वर्णित भूमि वादीगण के पिता स्वर्गीय श्री सोहनराज उर्फ सोहनराज पुत्र श्री पुखराजजी को दिनांक 28—06—1973 को आंवटन हुई थी जिसके खातेदारी अधिकार 1983 में प्रदान कर दिये गये थे। वक्त आंवटन के स्वर्गीय सोहनराज के जीवनकाल तक वादीगण शामलाती कब्जा काश्त रहा तथा सोहनलालजी के देहान्त के पश्चात् वादीगण काबिज खातेदारान है। उनका कब्जा काश्त मौके पर आज दिन तक चला आ रहा है। सोहनराजजी की मृत्यु दिनांक 17—08—1976 को हुई। मृतक श्री सोहनराजजी को वादग्रस्त भूमि आंवटन के समय हल्का पटवारी ने मापकर चतुर्थ सीमा के निशान कायम करवाये तथा कब्जा सुपुर्द किया। जो कब्जा आज दिन तक उसी स्थान पर कायम है। मृतक सोहनराजजी ने उक्त आंवटित भूमि के चारों सीमाओं पर 5 फीट ऊंचा धोरा लगावाया व जो आज दिन तक मौजूद है जिस पर बाड़ की हुई है तथा पुराने अंग्रेजी बबूल के वृक्ष खड़े है। जिससे पुराना कब्जा साफ जाहिर है। वादीगण का कब्जा काश्त दिनांक 28—06—1973 से आज दिन तक लगातार खुलेआम बेरोकटोक, शांतिपूर्वक चला आ रहा है। इसका ज्ञान प्रतिवादीगण को वक्त आंवटन से है किन्तु प्रतिवादीगण की तरफ से श्री सोहनराज के जीवनकाल में कभी कोई विरोध नहीं किया गया। वादग्रस्त भूमि पर आज से करीब 18—19 वर्ष पूर्व वादीगण के पिताजी ने मेहन्दी लगाई थी जो आज तक मौके पर मौजूद है तथा सोहनराजजी के देहान्त के पश्चात् उक्त जमीन व फसल मेहन्दी की देखरेख वादीगण करते है। वादीगण के पिताजी श्री सोहनराजजी द्वारा उक्त भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु हजारों रूपये खर्च किये तथा फसल तैयार करते और उक्त जमीन का लाभ प्राप्त करते थे जो खेती अब वादीगण करवाते है। प्रतिवादीगण ने वर्ष 1992 में वादीगण की जमीन की बाड़ हटाकर बबूल के पेड़ काटे व मेहन्दी की फसल की चोरी की उस समय वादग्रस्त भूमि की देखरेख श्री तेजराज करते थे। जिनके द्वारा दिनांक 14—11—1992 को पुलिस थाना सदर, पाली में प्रथम सूचना दर्ज करवायी गयी जिसका अभियोग संख्या 65/92 मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, पाली में अंतर्गत धारा 379, 447 दण्ड संहिता के चल रहा है। वादग्रस्त भूमि के खातेदारान ने करणराज पुत्र श्री भंवरलाल जैन को अपना मुख्तियार नियुक्त कर दिया है जो उक्त जमीन की देखरेख वादीगण की ओर से करते है तथा इस जमीन संबन्धी सभी विवादों में पैरवी करते है व कराते है। यह वाद भी जरिये उक्त मुख्तियार के प्रस्तुत किया जा रहा है। जो वादीगण का अधिकृत प्रतिनिधि है। दिनांक 28—9—1994

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

को वादीगण का आम मुख्तियार भूमि की देखरेख हेतु मौके पर गया तब प्रतिवादीगण संख्या 1 एवं 2 के कायम मुकाम के पिता एवं शेष प्रतिवादीगण वादीगण के खेत में बाड़ तोड़कर मेहन्दी काटने के लिये घुसने लगे जिन्हें रोका गया तब प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के कायम मुकाम के पिता एवं शेष प्रतिवादीगण ने कहा कि ये जमीन हमारी है इसलिये हम मेहन्दी काटेगें व हमारा कब्जा करेगें तथा ये धमकी दी कि वादीगण की ओर से वादग्रस्त जमीन पर कोई आयेगा तो उसके हाथ पैर तोड़ देगें। हम अनुसूचित के व्यक्ति है इस कारण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते इस समय वादग्रस्त भूमि के पड़ौसी काश्तकार हीराराम व तेजराज, प्रदीपकुमार आ गये जिन्होंने प्रतिवादीगण को समझाईश की और कानूनी कार्यवाही करने के लिये सलाह दी तब प्रतिवादीगण चले गये। इसके पश्चात् प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के कायम मुकाम के पिता व शेष प्रतिवादीगण ने वादीगण की वादग्रस्त जमीन पर मेहन्दी की फसल को चोरी के काट लिया तथा उसका कुछ हिस्सा मौके से हटा लिया व उसे बेच दिया तथा शेष बची हुई फसल को हटाने की कोशिश करने लगे तब वादीगण की ओर से उन्हें रोका गया, जो कभी भी उक्त फसल को उठाकर ले जा सकते है। इस कारण वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है तथा वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी संलग्न किया गया है। प्रतिवादीगण यदि वादीगण की फसल ले जाने में सफल हो जाते है जिससे वादीगण को अपरिमित हानि होगी तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि पर अवैध प्रवेश कर कब्जा करने का प्रयास करने से भी वादीगण को अन्य मुकदमों में उलझना पड़ेगा जिससे वाद बाहुल्यता होगी तथा वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति मुद्रा में नहीं आंकी जा सकेगी। चूंकि वादीगण को प्रतिवादीगण अवैध रूप से खातेदारी भूमि को हड़प कर नुक्शान पहुंचाना चाहते है जबकि वादीगण का कब्जा काश्त खुले आम वक्त आंवटन से आज दिन तक बेरोकटोक अधिकार पूर्वक चला आ रहा है। इस कारण ऐसे कब्जे को सुरक्षित रखने से सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है तथा वादीगण को अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई रूप से हस्तक्षेप करने से रोकना आवश्यक है तथा वादीगण के अधिकारों की घोषणा भी प्रदान कराना न्यायसंगत है। वादकारण दिनांक 28–09–1994 को विरूद्ध प्रतिवादीगण बमुकाम पाली में तब पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के कायम मुकाम एवं शेष प्रतिवादीगण ने अवैधानिक रूप से वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर अतिक्रमण किया, मेहन्दी की फसल काटी नुक्शान पहुंचाया तथा ये धमकी दी कि वादग्रस्त जमीन इनकी खातेदारी की है। जिस पर वे कब्जा करेगें तथा वादीगण उनके खिलाफ अनुसूचित जाति के सदस्य होने के कारण मुकदमें में फंसा देगें तथा इसके पश्चात् पुनः दिनांक 12–12–1994 को तब पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादीगण की मेहन्दी की फसल का कुछ हिस्सा काटकर चुरा लिया तथा उसे बेच दिया व शेष फसल को मौके पर आकर हटाने हेतु आमदा हुए जिसे वादीगण की ओर से नहीं हटाने दी गयी तथा कानूनी कार्यवाही की गई। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक आज्ञाप्ति इस आशय की प्रदान की जावे कि वाद पद संख्या 1 में वर्णित भूमि वादीगण की खातेदारी की है। वाद पद संख्या 1 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण को स्थाई रूप से अतिक्रमण एवं हस्तक्षेप करने से रोका जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति पारित की जावे। वाद का खर्चा वादीगण को प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावे। अन्य अनुतोष जो वादीगण के पक्ष में न्यायसंगत हो प्रदान कराया जावे।

2. वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

3. प्रतिवादी संख्या 11 ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण को कथित सहायता न्यायालय द्वारा प्रदान करने में उत्तरदाता प्रतिवादी को आपत्ति नहीं होना लिखा है।

4. प्रतिवादी संख्या दो ने जवाबदावा मय काउन्टरक्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज करवाया गया है। वादीगण के तथाकथित स्वर्गीय पिता सोहनलाल के नाम से बेनामी आंवटन करवाया गया है, परन्तु मौके पर वादग्रस्त भूमि पर कभी भी मृतक सोहनलाल व वादीगण का कब्जा वो कास्त नहीं रहा है और नहीं था और न ही आज भी है। नहीं मृतक सोहनलाल द्वारा वादग्रस्त भूमि के चारों तरफ पांच फीट ऊंचा कोई धोरा ही लगाया गया है और नहीं कोई बाड़ ही लगाई गई है तथाकथित धोरा व बाड़ प्रतिवादी संख्या दो के द्वारा ही लगाये गये है। वादीगण का व उसके मृतक पिता सोहनलाल का वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 28–06–73 से कब्जा व कास्त खुल्ले रूप से बेरोकटोक शांतिपूर्वक ढंग से नहीं चला आ रहा है और जब वादीगण का कोई कब्जा व काश्त ही वादग्रस्त भूमि पर नहीं है तो ज्ञान होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अन्य वाक्यात विरोध नहीं करने का भी गलत होने से अस्वीकार है जिससे वाद काबिल खारिज के है। वादीगण के पिताजी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कोई मेहन्दी नहीं लगाई

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

है। मेहन्दी प्रतिवादी संख्या दो नरसिंह द्वारा ही लगाई गई है जो आज भी मौके पर महेन्दी प्रतिवादी नरसिंह की ही खड़ी है ओर वादीगण के मृतक पिता सोहनराज द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है और न ही कोई खेती ही करवा रहे है कब्जा प्रतिवादी संख्या दो नरसिंह का था जो रिसिवर द्वारा आज से करीब 6 महिने पहिले नरसिंह से लिया गया है जिससे भी वाद काबिल खारिज के है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की किसी भूमि से कोई वृक्ष नहीं काटे और न ही मेहन्दी की फसल ही चोरी करके ले गये थे ओर वादग्रस्त भूमि की देखरेख तेजराज की नहीं थी वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया था जिसमें न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को दोषमुक्त किया गया है ओर मुकदमें का फैसला प्रतिवादी के पक्ष में हुआ है जिससे भी वाद काबिल खारिज के है। दिनांक 28–09–94 को वादीगण का आम मुख्त्यार मौके पर देखरेख हेतु नहीं गया परन्तु अपने गुन्डों को लेकर जबरन तौर से प्रतिवादी की कब्जा व काश्तसुदा कृषि भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करने की गरज से गया। जिनके द्वारा मौके पर प्रतिवादी नरसिंह के साथ मारपीट की व रहवासी झोपड़ी बिखेर दी ओर झगड़ा टंटा किया जिसका मुकदमा प्रतिवादी द्वारा दर्ज करवाया गया था जो न्यायालय में विचाराधीन है। प्रतिवादी से कोई समझाईश नहीं की गई है और न ही कोई कानूनी कार्यवाही करने के लिये सलाह ही प्रतिवादीगण को दी गई है। साथ ही मेहन्दी प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं की आज से 20 वर्ष पहले लगाई हुई है जिस पर तमाम खर्चा प्रतिवादी संख्या 2 का लगा हुआ है वादीगण का कोई हक व हिस्सा वादग्रस्त भूमि पर खड़ी मेहन्दी की फसल में नहीं है इसलिये वादीगण द्वारा प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद काबिल खारिज के है। वादग्रस्त भूमि में खड़ी फसल को काटकर ले जाने से वादीगण को कोई हानि नहीं होगी क्योंकि वादीगण की कोई फसल ही बोई हुई नहीं है साथ ही वादग्रस्त भूमि पर जब प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा व काश्त है और प्रतिवादी की कब्जा व काश्तसुदा भूमि का अगर अवैध रूप से वादीगण के पिता कथित सोहनराज के नाम से अगर कोई आंवटन हुआ है तो वह आंवटन अवैध है और आंवटी का कब्जा नहीं होने से स्वतः ही आंवटन खारीज योग्य है जिससे भी वादी का वाद काबिल खारिज के है। राज्य सरकार के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें कूनन धारा 80 सी.पी.सी. के तहत वाद प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार को नोटिस देना नितान्त आवश्यक है इसलिये नोटिस के अभाव में वाद काबिल खारिज के है। दिनांक 28–09–94 को कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है और न ही प्रतिवादीगण द्वारा अवैधानिक रूप से वादीगण के कब्जे में व काश्त में कोई अतिक्रमण नहीं किया है। मेहन्दी की फसल प्रतिवादी संख्या 2 की स्वयं की बोई हुई है ओर उक्त फसल को काटने का प्रतिवादी संख्या 2 नरसिंह को पूर्ण अधिकार प्राप्त है इसलिये भूमि पर अतिक्रमण करने ओर मेहन्दी की फसल काटकर नुक्शान पहुंचाने के कथन तथा धमकी देने के कथन गलत होने से अस्वीकार है। साथ ही प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य जरूर है परन्तु प्रतिवादी संख्या दो द्वारा जबरन तौर से अनुसूचित जाति को मुकदमा दर्ज करवाकर फंसाने की धमकी देने का कथन गलत होने से अस्वीकार है साथ ही दिनांक 12–12–94 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मेहन्दी की फसल को काटकर चुराने का कथन गलत है परन्तु वादीगण द्वारा प्रतिवादी की फसल जो काटी हुई थी जिसके कांटों की बाड़ विवादग्रस्त भूमि के चारों तरफ मेहन्दी की फसल की सुरक्षा हेतु की हुई थी उस बाड़ में वादीगण द्वारा अपने अन्य सहयोगियों से मिलकर आग लगा दी थी और प्रतिवादी संख्या 2 की तीन झोपड़िया जलागर राख कर दी थी जिसका फौजदारी मुकदमा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पुलिस थाना सदर पाली में दर्ज करवाया गया था जो मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है जिससे भी वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण काबिल खारिज के है। पद संख्या 11 में वर्णित इस्तदुआ वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है जिससे भी वाद काबिल खारिज के है। मजिद उजरात में निवेदन किया कि दिनांक 23–09–95 को न्यायालय श्री द्वारा वाद के साथ संलग्न स्थगन आज्ञार्थ आवेदन पत्र में कमिश्नर भेजकर जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है उस रिपोर्ट से भी वादीगण का कब्जा वादग्रस्त भूमि पर साबित नहीं है जिससे भी वाद काबिल खारिज के है। प्रतिवादी 2 का वादग्रस्त भूमि पर कदिम से पुश्तेनी कब्जा व काश्त सेटलमेंट के समय से चला आ रहा है साथ ही प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि जरिये बंटवाड़ा प्रतिवादी संख्या 2 के मृतक पिता स्व0 झालाजी द्वारा उसके भाईयों से दिलवाई गई थी तब से लेकर वक्त कुर्की तक प्रतिवादी संख्या 2 का ही कब्जा व काश्त बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्वक ढंग से लगातार चला आ रहा है और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर मेहन्दी की फसल भी आज से 20 वर्ष पहले बोई गई थी जो फसल आज दिन तक मौके पर खड़ी है और हर वर्ष प्रतिवादी संख्या 2 ही फसल को काटकर उसका उपयोग लेता आ रहा है अगर प्रतिवादी संख्या 2 को वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 2 को अपरिमित हानि होगी जो क्षतिपूर्ति किसी भी रूप से संभव नहीं हो सकेगी। वादग्रस्त भूमि का कब्जा कभी भी तथाकथित मृतक सोहनलाल को सुपुर्द नहीं किया और न ही वादीगण द्वारा ही प्रतिवादी संख्या 2 से वादग्रस्त भूमि का कोई कब्जा प्राप्त किया है जिससे

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

वादीगण के बनिस्पत प्रतिवादी संख्या 2 को अकथनिय हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप से संभव नहीं हो सकेगी जिससे भी वाद काबिल खारिज के है। राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी के पिता झालाजी व उसके भाईयों के नाम वादग्रस्त भूमि के खसरा नंबरान के संबन्ध में राजस्व रेकर्ड में काफी पुराने समय से दर्ज है तथा उक्त जमीन पर प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा भाईयों के बंटवाड़े के बाद से ओर उससे पूर्व उसके पिता व प्रतिवादी संख्या 2 के भाईयों का कब्जा लगातार बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक ढंग से चला आ रहा है ओर वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 का ही कब्जा व काश्त है। सन् 1965 में वादग्रस्त भूमि का आंवटन अप्रार्थी के भाई काना व जीता के नाम से दिनांक 21–06–65 को आंवटित हुयी थी ओर उस वक्त अप्रार्थी व उसके भाई संयुक्त परिवार के सदस्य थे ओर उस वक्त अप्रार्थी व उसके भाई संयुक्त परिवार के सदस्य थे ओर भाई बंट में उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के बंट में आई तब से लेकर आज दिन अप्रार्थी नृसिंह का (प्रतिवादी संख्या दो) ही कब्जा व काश्त है। जिससे वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से वाद काबिल खारिज के है। आंवटन से पूर्व उक्त भूमि ओक्यूपाईड लैण्ड होने से अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में कानूनन भू–आंवटन नियमों के तहत आंवटन नहीं किया जा सकता है जिससे भी तथाकथित मृतक सोहनलाल के पक्ष में अगर कोई आंवटन हुआ है तो वो आंवटन कानूनी तौर से स्वतः ही खारीज योग्य है ओर वक्त आंवटन से लेकर आज दिन तक भी वादीगण व उसके मृतक पिता सोहन लाल का न तो कब्जा रहा है और न ही कब्जा है इसलिये भी उक्त आंवटन खारीज हो चुका है और उन्हें कोई खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना कानूनन आवश्यक है। राजस्व रेकर्ड की फोटो प्रतियां जिसमें खसरा गिरदावरी में लगातार प्रतिवादी के भाईयों का नाम दर्ज है आरे कब्जा व काश्त प्रतिवादी संख्या 2 का बदस्तूर है। प्रतिवादी संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि पर लगातार 2012 से लेकर आज दिन तक बिना किसी रोक टोक के कब्जा व काश्त होने से एडवर्स पजेशन के सिद्धांतों के अनुसार भी प्रतिवादी संख्या 2 कानूनन खातेदार हो चुका है जिससे भी वादी का वाद काबिल खारिज के है। अगर प्रतिवादी संख्या दो को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया गया तो प्रतिवादी संख्या दो अपने हक व अधिकारों से महरूम रहेगा साथ ही प्रतिवादी संख्या दो की स्थिति दयनीय हो जायेगी ओर बेघरबार व बेकार हो जायेगा जिससे भी वादग्रस्त भूमि के संबन्ध में प्रस्तुत वादीगण का वाद खारीज किया जाना नितान्त आवश्यक है। जवाबदावा व काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद सव्यय खारीज फरमाया जावे और प्रतिवादी संख्या 2 को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ओर राजस्व रेकर्ड में बतौर खतेदार काश्तकार घोषित किया जावे और राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार के प्रतिवादी संख्या 2 को विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 539 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल पाली चक नंबर दो का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ओर इस आशय की दुरूस्ती राजस्व रेकर्ड में की जावे।

5. प्रतिवादी संख्या 3 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्णित खसरा नंबर 539 रकबा 21 बीघा किस्म बारानी अव्वल वर्णित पड़ौस की भूमि अवश्य आई हुई है लेकिन वादीगण की खातेदारी है या नही। प्रतिवादी पढा लिखा नहीं होने से जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। उक्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 व अन्य सहखातेदारों का कब्जा काश्त है। उक्त खसरा नंबर 540 की भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वजों की कब्जा सुदा है और मौके पर आज भी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है और खसरा नंबर 539 के पड़ौस में खसरा नंबर 538, 540, 541, 542, 543 भी प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जासुदा आई हुई है। मौके पर खसरा नंबर 539 की भूमि पर प्रतिवादीगण के पुर्वजों का एवं अन्य प्रतिवादीगण का मौके पर कब्जा काश्त था जो खसरा परिवर्तनशील संवत् 2020 से 2025 तक की साथ में पेश है जिससे स्पष्ट है। साथ ही उक्त भूमि पर आज भी कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 3 व अन्य खातेदारों का कब्जा काश्त है एवं भूमि मौके पर अलग'–अलग हिस्सों में बंटी हुई है। वादीगण द्वारा उक्त भूमि को अपनी आंवटन होना बताते है जो गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि मौके पर कब्जा काश्त आज दिन तक वादीगण का कभी नहीं रहा। तो आंवटन होने का प्रश्न ही नहीं है। केवलमात्र कागजी खाना पूर्ति आंवटन की होने से उसे माना नहीं जा सकता है बल्कि मौके पर एक मात्र आज दिन तक कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का है। चूंकि वादीगण मात्र अपने आंवटन की ओट में उक्त भूमि पर कब्जा करने हेतु आए एवं प्रतिवादी संख्या 3 को कब्जा छोड़ने व नहीं छोड़ने पर जोर जबरदस्ती बेदखल करने की धमकी दी। जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 ने उसका विरोध किया। जिससे फोजदारी मुकदमेंबाजी भी हुई और जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त किया गया। जिस आदेश के विरूद्ध वादीगण ने अपील की जो अपील वादीगण की खारिज हुई एवं वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। मौके पर प्रतिवादी संख्या 3 की धोरा पाली की हुई है व मौके पर कब्जा काश्त है। वादीगण द्वारा व तहसीलदारजी

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध झूठा फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया जिसमें भी प्रतिवादी संख्या 3 को न्यायालय से बाइज्जत बरी किया। उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण के पूर्वज शुरू से काश्त करते आ रहे है एवं उनके देहांत के उपरांत प्रतिवादीगण का मौके पर आज भी कब्जा काश्त मौजूद है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध झूठा मुकद्दमा दर्ज जरूरी करवाया था जिसमें भी न्यायालय से बाद विचारण प्रतिवादी संख्या 3 को बाईज्जत बरी किया गया है और वादीगया के कथनों को झूठा माना है। आम मुख्तियार नियुक्ति का व पैरवी करने का कथन प्रतिवादी संख्या 3 की जानकारी में नही होने से अस्वीकार है जो वादीगण को भी कोई हक अधिकार नहीं है और न ही मौके पर कब्जा काश्त है तो मुख्तीयार को अधिकार देने का प्रश्न ही नहीं होता है और मुख्तियार को कोई अधिकार नही है। मौके पर प्रतिवादीगण का आज भी कब्जा काश्त है। उक्त भूमि पर वादीगण एवं 2–3 अन्य व्यक्तियों द्वारा मौके पर आकर प्रतिवादी संख्या 3 को कहा कि हमारी जमीन खाली कर दो, तब प्रतिवादीगण ने कहा कि वह जमीन को हमारे पूर्वजों की है और हमारा ही इस जमीन पर आज दिन तक कब्जा काश्त है तब वादीगण व अन्य व्यक्तियों द्वारा जोर जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन जब कब्जा करने में सफल नही हुए तो प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह झूठा दावा पेश कर दिया जो बेबुनियाद व गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज होने योग्य है। वादी की अपेक्षा प्रतिवादीगण को अगर जोर जबरदस्ती अस्थाई निषेधाज्ञा की ओट में बेदखल किया जाता है तो अपरिमित क्षति होगी। प्रतिवादी गरीब तबके के अनुसूचित जाति के बावरी जाति के लोग है जिनकी आय का एकमात्र जरिया उक्त भूमि ही है। व वादीगण जोर जबरदस्ती कब्जा कर प्रतिवादीगण की जमीन हड़पना चाहते है जो प्रतिवादीगण लेने नहीं देगें। चूंकि वाद खातेदारी उद्घोषणा का भी होने से भूमिधारी को दावा पेश करने से पूर्व नोटिस देना आवश्यक था इस कारण भी वादीगण का दावा कानूनन खारिज होने योग्य है। वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण के उक्त तारीख को कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ। बल्कि वादीगण जोर जबरदस्ती प्रतिवादीगण की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है एवं वादीगण ने झूठा वाद कारण बनाकर दावा पेश किया है जो अस्वीकार है। वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार के अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध झूठे तौर पर गलत तथ्यों पर आधारित वाद पेश कर प्रतिवादी गरीब तबके के अनुसूचित जाति के व्यक्ति को परेशान किया है जिसके लिए विशेष हर्जा वादीगण से प्रतिवादीगण संख्या 3 को दिलाया जावे एवं वादीगण का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

6. वाद में निम्न तनकियात कायम की गई:–

1. आया के पद संख्या एक में वर्णित भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे? (वादीगण)

2. आया वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है? (वादीगण)

3. आया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं होने से वाद काबिल खारिज है? (प्रतिवादी 2)

4. आया वादग्रस्त भूमि 21–06–65 को अप्रार्थी संख्या 2 व उसके भाई को आंवटित हुई थी जो भाई बंट में अप्रार्थी संख्या 2 को प्राप्त हुई – (प्रतिवादी संख्या 2)

5. अनुतोष

7. वादीगण ने वाद को साबित करने हेतु गवाह श्री करणराज, श्री प्रदीप कुमार एवं श्री तेजराज के बयानात को कलमबद्ध करवाया। वकील प्रतिवादीगण द्वारा शहादत पेश करने में असफल रहने से दिनांक 22–01–2019 को उनका शहादत पेश करने का अवसर समाप्त किया गया।

8. वादीगण पक्ष के गवाह श्री करणराज ने अपने बयान में बताया कि विवादित जमीन नयागांव पाली चक नंबर 2 में आई हुई है। खसरा नंबर 539 है। इसका रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा है। किस्म बारानी अव्वल है। जमीन के उतर में खसरा नंबर 538, दक्षिण में 544 व 546 है। पूर्व में 536– 537 है। पश्चिम में 538 व 543 खसरा नंबर का भूभाग हैं इस जमीन में 28–06–73 से ही सोहनराज ओसवाल पुत्र पुखराज ओसवाल का कब्जा कास्त रहा है। यह जमीन 28–06–73 श्री सोहनराज को आंवटन हुई थी। आंवटित जमीन पर सोहनराजजी का कब्जा रहा है। सोहनराजजी के स्वर्गवास के बाद आज तक उनके उतराधिकारी श्रीमति सुचित्रा, अशोक कुमार, अरूण, वरूण व

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

श्रीमती गीता जैन का कब्जा कास्त है। सोहनराज का स्वर्गवास दिनांक 17-08-76 को हुआ है। जमीन जब आंवटन हुई तब हल्का पटवारी ने भूमि का नाप कर 21 बीघा 14 बिस्वा का कब्जा सोहनराजजी को सुपुर्द किया था। जमीन के चारों ओर घोरा पाली सोहनराजजी ने उनके स्वयं के खर्चे से करवायी थी। सोहनराजजी के जीवनकाल में इस जमीन का कोई विवाद नहीं हुआ। इस जमीन में सोहनराजजी ने मेहन्दी बोयी थी। फसल आज भी खड़ी है। स्वर्गी सोहनराजजी ने अपना किया था। इस फसल के संबन्ध में गिरदावरी संवत् 2044 से 2047 की नकल प्रदर्श इएक्स-1 है। संवत् 2048 से 2051 तक खसरा गिरदावरी की नकल इएक्स-2 है। कब्जे के संबन्ध में संवत् 2031 से 2034, संवत् 2035 से 2038, 2039 से 2042 प्रदर्श-3 है। विवादित आराजी की जमाबंदी की नकल संवत् 2031 से 34, 2035 से 2038, 2039 से 2042, 2044 से 2047, संवत् 2048 से 2051 प्रदर्श-4 है। इस जमीन की देखभाल मैं पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर होने से उनके उत्तराधिकारियों की ओर से कर रहा हूं। पॉवर ऑफ एटोर्नी प्रदर्श-5, प्रदर्श-6, प्रदर्श-7 है। आंवटन आदेश पर भरा गया नामा0 इएक्स-8 है। सोहनराजजी के खिलाफ तह0 पाली ने मुकद्दमा किया था। ए.डी.एम. कोर्ट में किया था। मु0नं0 582/81 है। इसका निर्णय मार्च 83 में हुआ है। यह निर्णय प्रदर्श-9 है। इस जमीन की देख-रेख मेरा भाई तेजराज ने भी की है। मौके पर टंटा फिसाद हुआ था। पुलिस में सूचना दर्ज करवायी थी। वर्ष 1992 व 1994 में दर्ज करायी थी जिसकी फोटो प्रति पेश की है। वर्तमान में मेहन्दी की फसल है। यह फसल एवं विवादित भूमि रिसीवर कब्जे में है। इसके पहले सोहनराजजी के कब्जे में रही है। मैंने इस जमीन पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा कास्त नहीं देखा है। श्री सोहनराज के इंतकाल के बाद उनके उत्तराधिकारीगण के पक्ष में नामा0 भरा गया है। जिरह में बताया कि यह गलत है कि विवादित जमीन पर वक्त आंवटन के पश्चात् सोहनराजजी का कब्जा नहीं रहा है। सोहनराजजी वीर दुर्गादास नगर, पाली में निवास करते रहे है। एरिड जॉन वाले जैन सा0 के मकान में किराये पर रहे है। वे 1971 से लगाय 1978 तक रहे। 1978 के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। इनके लड़के पाली में रहते है। आते जाते रहते है। आज की तारीख में दिल्ली में रहते है। पाली में घर का मकान नहीं है। सोहनराजी को हल चालाना नहीं आता है। अजखुद कहा कि हल चलाना नहीं जानते होगें मुझे पता नहीं है। इनके लड़के भी हल चालाना जानते है या नहीं मुझे पता नही। 1971 के पहले गांव गोगेलाव जिला नागौर रहते थे। मूल निवासी भी वहीं के है। वे पाली में 1971 से 1978 तक नौकरी के लिये आये थे। 1971 से 1978 तक सोहनराजजी ने क्या नौकरी की मुझे ध्यान नहीं है। विवादित खेत के पूर्व में प्रदीप कुमार, पश्चिम में भंवरलालजी की खातेदारी भूमि है। पश्चिाम में खातेदार कौन है मुझे ध्यान नहीं है। उत्तर में झाला बावरी के लड़कों की जमीन है। दक्षिण में मैंने भाई प्रदीप कुमार एवं मेरे पिता भंवरलालजी की जमीन आई हुई है। वादग्रस्त भूमि पर मेहन्दी की फसल है। यह फसल आज से 28-29 वर्ष पहले सोहनराजजी ने अपने खर्चे से बोई थी। आंवटी सोहनराजजी मेरे रिश्ते में ससुरजी लगते है। मेरे को यह जानकारी नहीं हजै कि वे किस विभाग में नौकरी करते थे। मुझे यह जानकारी नहीं है कि वादग्रस्त आराजी आंवटन के पूर्व श्री झीता पुत्र आदा बावरी नि0 नयागांव के नाम थी। मुझे यह जानकारी नहीं है कि जीता द्वारा आंवटित भूमि के संबन्ध में बीगोड़ी जमा करायी हो। दिनांक 23-09-95 की कमिश्नर रिपोर्ट तैयार की गयी। उस समय हमारा कब्जा नहीं होना गलत है। गवाह ने अजखुद कहा कि कब्जा सोहनलालजी के वारिसान का था। संवत् 2012 में सोहनराजजी कहां रहते थे मुझे जानकारी नहीं है। श्री सोहनराजजी का कब्जा कास्त वादग्रस्त जमीन पर नहीं रहना गलत है। उनकी मौत के बाद उनके वारिसान का कब्जा कास्त है। जो कास्त करते है व कराते है। मैंने इनको कास्त करते देखा है। मुझे कास्त की जानकारी है। 1973 को कास्त थी। यह गलत है कि मेहन्दी की फसल मृतक झालाजी के समय से बोई हुई है या उनके द्वारा बोई हुई है। बल्कि सह है कि जून 76 में श्री सोहनराज पुत्र पुखराज जैन ने वादग्रस्त जमीन पर मेहन्दी की फसल बोई थी। फसल बोने के लिये सोजत से मजदूर लाये थे। खसरा नंबर 539 का कुल रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा है। जमीन के पूर्व में मेरे पिता भंवरलाल व भाई प्रदीप की जमीन है। पश्चिम में खसरा नंबर 542 है। खातेदार कौन है मुझे ध्यान नहीं इसक खसरे पर कौन काबिज है मुझे ध्यान नहीं। खसरा नंबर 538 उत्तर दिशा में स्थित हैं। इस पर झाला का कब्जा है। झाला के लड़के, जीता, काना, कूका, नरसिंग व नथा है। लड़कियों की मुझे जानकारी नहीं है। 538 व 542 के बीच माठ है। माठ घोरे के रूप में है। 539 खसरा की जमीन सोहनराजजी के होने से झाला के लड़कों ने बंटवाड़ा नहीं किया। 538 की जमीन में इनके द्वारा क्या बंटवाड़ा किया मुझे जानकारी नहीं है। सोहनराज का जन्म नागौर में जन्म हुआ एवं मूलतः वहां के थे पाली में किराये के मकान में रहते थे। किराया का मकान श्री पृथ्वीराज कटारिया का मकान हजै। सान्दू सा0 जे इएन व श्री जैन सा0 एरिड जॉन के मृतक सोहनराज किरायेदार रहे है। उनके पास स्वयं का कृषि कार्य का साधन नहीं था। किराये पर लेकर खेती करवाते थे। आंवटित भूमि के अलावा अन्य कहां कहां कास्त की मुझे जानकारी नहीं है। यह गलत

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

है कि खसरा नंबर 539 पर श्री सोहनराजजी का कब्जा नहीं रहा है। मैं सोहनराजजी के वारिसान का आम मुख्तियार हूं। यह सही है कि मैं आज आम मुख्तियार की हैसियत से बयान दे रहा हूं। मेरे सालाजी व सालीजी जो मृतक सोहनराजजी के वारिसान है दिल्ली में गत 8–9 सालों से रह रहे है। अजखुद गवाह ने कहा कि वे पाली आते जाते रहते थे। प्रदर्श ए–1 की लेंगवेज क्या है मैं रेवेन्यु लॉ में नहीं समझता। मेरे बयानों में प्रदर्श–1 से प्रदर्श–7 तक में मुझे जानकारी थी उतना लिखा दिया। मुझे मृतक सोहनराजजी ने उनके नाम आंवटन की बात बतायी थी। मैं आंवटन में नहीं समझता। आंवटन के बाद सोहनराजजी को हल्का पटवारी ने जून 73 में कब्ज सम्भलाया था। मै। कब्जा दिया तब मैं मेरे पिताजी, हल्का पटवारी चक 2 साथ थे। सोहनराजजी भी साथ थे। मुझे याद नहीं है कि हमने कब्जा प्राप्ती की मौका फर्द पेश की होगी। मैंने दावे के सम्बन्ध में दस्तावेज वकील साहब को दे दिये थे उन्होंने दावे में क्या पेश किया मुझे जानकारी नहीं है। प्रदर्श–3 जो गिरदावरी है सरकारी रेकर्ड होने से सही मानता हूं। इसमें दर्ज इंद्राज संवत् 2027 जो विवादित खसरा की कास्त दर्ज है जो संवत् 2030 तक दर्ज है जो गलत है। कब्जा दर्ज होना गलत बताया है। मैंने पटवारी की कोई शिकायत नहीं की। यह गलत है कि मुझे इस विवादित जमीन के संबन्ध में कोई जानकारी नहीं हो बल्कि वक्त आंवटन से है। उनके नाम अन्य कोई भूमि आंवटन नहीं हुई। ग्राम गागेलाव में उनकी कृषि भूमि स्थित है उसके खसरा नंबर व रकबा ध्यान नहीं है। प्रदर्श–पी मैंने पेश करवाया है। राज्य सरकार ने सोहनराजजी के विरूद्ध आंवटन निरस्त की कार्यवाही हुई थी। उसमें सोहनराजजी को कृषक माना था। मेरे नाम खातेदारी भूमि नहीं है। मेरे पिताजी के नाम से थी। उनके फौत होने पर मेरे नाम भी दर्ज हुई है। उसके खसरा नंब 537, 542, 546, 544 है। अब मुझे यह याद नहीं है कि इनका रकबा कितना है। यह कथन गलत है कि हमारे द्वारा यह वाद विवादित भूमि का कब्जा बावरियों से हड़पने के लिये पेश किया है। इस जमीन पर हमारा 1973 से इस न्यायालय के आदेश तक कब्जा रहा है। लगान की रसीद मैंने वकील सा0 को दी थी। मुझे याद नहीं कि किस किस वर्ष की एवं किस राशि की पेश की। यह गलत है कि हमने यह आंवटन मिली भगत कर करवाया है।

9. वादीगण पक्ष के गवाह श्री आदूराम पुत्र श्री राजूराम जाति जाट निवासी नयागांव ने अपने बयान में बताया कि मैं वादी एवं प्रतिवादीगण को जानता हूं। वादीगण की जमीन पाली चक II में मेरी जमीन के पाड़ौस में आई हुई है। इस जमीन पर शुरू से कब्जा कास्त सोहनराजजी का था और उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी औलाद का है। वादग्रस्त भूमि का खसरा नंबर 539 रकबा 21 बीघा एवं कुच्छ बिस्वा है जो याद नहीं है। इस जमीन पर मौजूदा मेहन्दी की फसल है तथा मजदूरों से कास्त करवाते है। इस जमीन के उतर में मेरी जमीन आई हुई है जिसके खसरा नंबर 533 व 535 है। वादग्रस्त जमीन के उत्तर–पश्चिम में प्रतिवादीगण की जमीन है। पाली से सोजत जाने वाली सड़क की तरफ वादीगण की जमीन है। वादीगण की जमीन पर कब्जा मैं वर्ष 1969 से देखता आ रहा हूं। मेरी खेती के लिए ट्रेक्टर है। मै।ने मेरे ट्रेक्टर से 1969 में खड़ाई की थी उसके बाद में वादीगण ने सोजत के मालियों से मेहंदी लगवाई थी। इस जमीन के चारों तरफ धोरा पाली लगी हुई है। थोड़े बहुत पेड़ भी लगे हुए है। वादीगण ने मेहंदी रोपी उस समय प्रतिवादी ने झगड़ा नहीं किया था। सोहन जी के जीवनकाल में बावरियों के और साहेनजी के बीच में लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ था। आज से 10 साल पहले मैं पाली में घर पर ही था। 10 साल पहले प्रतिवादीगण ने यह विवाद किया कि वादी की जमीन पर बोई मेहंदी की जमीन हमारी है। मैंने अपने जीवनकाल में वादीगण की जमीन के पास स्थित प्रतिवादीगण की जमीन पर मेहंदी लगाते नहीं देखा तथा न ही वहां पर मेहंदी फसल है। सोहनजी को जब से जमीन का आंवटन होकर कब्जा करवाया गया तब से आज तक मैंने जमीन का फेर बदल नहीं देखा है। कब्जा देने वाले पटवारीजी का नाम मुझे आज याद नहीं है।

10. वादीगण पक्ष के गवाह श्री प्रदीपकुमार जैन पुत्र श्री भंवरलाल जैन गोलेच्छा निवासी बी–90 वीर दुर्गादास नगर, पाली ने अपने बयान में बताया कि मैं वादीगण को जानता हूं। इनके पिताजी का नाम सोहनराजजी है। सोहनराजजी के 3 बेटे अशोक कुमार, अरूण कुमार, वरूण कुमार और 2 पुत्रीयां सुचित्रा एवं मीता है। मैं प्रतिवादीगण को जानता हूं। सोहनराजजी की जमीन पाली चक II के खसरा नंबर 539 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा आई हुई है। यह जमीन सोहनराजजी को सरकार ने दिनांक 28–06–1973 को आंवटन की थी। इस जमीन का आंवटन होने के बाद सोहनराजजी ने मेहन्दी की फसल बोई। उक्त जमीन (खेत) के चारों तरफ मेड़ पर बाड़ लगायी हुई है। यह सब सोहनराज जी ने कराया था। इस जमीन के आंवटन के बाद ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए खर्चा सोहनराजजी ने किया था। सोहनराज का देहान्त सन् 1976 में हो चुका है। सोहनराजजी का देहांत होने के बाद इस जमीन पर उनके उत्तराधिकारी पुत्र पुत्रीयां खेती करते है। वादग्रस्त भूमि के उत्तर दिशा में खसरा नंबर 538 की खेती की जमीन आई हुई है। और दक्षिण

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

दिशा में खसरा नंबर 544 की मेरी स्वयं की खातेदारी भूमि आई हुई है, पूर्व दिशा में खसरा नंबर 537 की खातेदारी भूमि है तथा पश्चिम दिशा में खसरा नंबर 537 व 542 की खातेदारी भूमि है। इन हदूदों के बीच वादग्रस्त भूमि आई हुई है। वर्तमान में इस खेत पर मेहन्दी की फसल बोई हुई है। इस जमीन के पड़ौस में मेरी खुद की जमीन आई हुई है इसलिए मुझे सब जानकारी है। जिरह में बताया कि सोहनराजजी का स्वर्गवास सन् 1976 में हुआ। सोहनराजजी को वर्ष 1973 में जमीन आंवटन हुई थी। सोहनलालजी के लड़के अभी पाली में नहीं रहते है, दिल्ली में रहते है। सोहनराजी के लड़के खेती करना जानते है। मैं भी खेती करना जानता हूं हल मैं नहीं चलाता था। काश्तकार से खेती कराता हूं। मैं स्वयं हाथ से खेती नहीं करता हूं। काश्तकार सेस खेती कराता हूं। सोहनराजजी के और कोई खातेदारी भूमि नहीं है। यह गलत है कि सोहनराजजी मेरे बड़े भाई नहीं है। मेरे बड़े भाई के ससुरजी हजै। जमीन को उपजाऊ बनाने में सोहनराजजी के कितना खर्चा आया, मुझे मालुम नहीं है। प्रतिवादीगण की भूमि मेरे पास आई हुई है। वादग्रस्त भूमि के पास भी प्रतिवादीगण की भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि के पास सब बावरी जाति के लोगों के खेत नहीं है। सब जाति के लोगों के खेत हैं सोहनराजजी की बेटियां ससुराल में रहती है। सोहनराजजी की पुत्रीयों के ससुराल वालों के क्या धंधा है मुझे मालुम नहीं है। खेत के चारों तरफ धोरे पर करीब 30–40 दरखत लगे हुए है। मेरा खेत वादग्रस्त जमीन से चिपता हुआ है। मेरी हिस्से की खातेदारी करीब 10 बीघा है। हम दो भाई है एक मैं और एक ओमप्रकाश है। खसरा नंबर 544 का रकबा 104 बीघा है जिसमें 544 व 545 सम्मिलित है। खसरा नंबर 544 व 545 एक ही चक में नहीं है। खसरा नंबर 537 की खातेदारी प्रदीपकुमार व ओमप्रकाश की है। सोहनराज जी ने मेहन्दी की फसल मेरे सामने बोई थी। जिसका खर्चा कितना आया मुझे पता नहीं है। आज सोहनराजी के लड़के पाली में नहीं है।

11. वादी पक्ष के गवाह इन्द्रसिंह पुत्र श्री मदनसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ा चुतरा ने अपने बयान में बताया कि मैं वादीगण को जानता हूं। वादीगण की वादग्रस्त कृषि भूमि पाली से सोजत मार्ग पर रेल्वे घुमटी से करीब 1/2 किम. दूर है। जमीन 21 बीघा है। जमीन के पाड़ौस उत्तर में प्रदीपजी ओमजी, सुरेशजी की जमीन, दक्षिण में प्रदीपजी की मेहन्दी है। पूर्व में नरसिंहजी नत्थजी की जमीन है। पश्चिम में किसकी जमीन है मुझे ध्यान नहीं है। वादग्रस्त जमीन अशोक कुमार, अरूण कुमार, वरूण कुमार, सुचित्रा के कब्जे में है। इस जमीन के आधा हिस्सा में महेन्दी बोई है और आधा हिस्सा सावणु फसल हेतु रखा है। इस जमीन पर इनका कब्जा वर्ष 1993 से देख रहा हूं। इस जमीन में नत्थाजी चौकीदार दखलंदाजी करता है। वर्ष 1994 के 9 वें महिने में 28 तारीख को करणराजजी वादग्रस्त जमीन पर गये और खड़ाई करने हेतु टेक्टर ले गये थे। तब नत्था व उसके परिवार के लोग व औरतें वहां पर आये और खड़ाई से मना किया। नत्थाजी वगैरह हमारी जमीन के सीमा पर लगी माठ को फांद कर हमारी वादग्रस्त जमीन पर आये कहने लगे कि यह जमीन हमारी है, खड़ाई नहीं करने देगें और मेहन्दी नहीं काटने देगें। मेहंदी हम काटेगें। हमारा ट्रेक्टर रोक दिया। इस जमीन पर दुबारा नहीं आने का कहा। हम कुछ देर वहीं रूके फिर प्रदीपजी के बेरे पर गये। फिर नत्थाजी ने एसडीओ कोर्ट में केस कर दिया। जिरह में बताया कि मेरा गांव सोजत तहसील में है। इस खेत के आस पास मेरी कृषि भूमि नहीं है। मैं करणराजजी के यहां नौकरी करता हूं। मैं मुनीम का काम करता हूं और खेती की जमीन पर कटाई बुवाई का काम भी करता हूं। वादी वरूण कुमार पाली में कभी कभी आता है। उनके खेती का धंधा नहीं है। वरूण कुमार की जमीन के खसरा नंबर 539 है। यह जमीन इन्होंने खरीदी या नहीं मुझे मालुम नहीं है। वादग्रस्त भूमि से चिपती हुई नत्थाजी वगैरह प्रतिवादीगण की कृषि भूमि आई हुई है। प्रतिवादीगण के खेत में मेहंदी की फसल बोई हुई है। माठ करीब एक फुट की है। वर्ष 1994 में नवें महिने की बात है मैं खेतों का काम करता हूं। मेहंदी की बुवाई जुलाई अगस्त में बरसात होती है तब होती है। मेहन्दी का निदान 10 व 11 वें महिने में करते है। सावणु फसल जून में बरसात अच्छी होने पर होती है। वादीगण को यह भूमि कैस प्राप्त हुई मुझे पता नहीं है। आज बयान देने अशोक कुमार, अरूण कुमार के कहने से आया हूं। मुझे यह मालुम नहीं है कि इसमें इनका हक है या नहीं। मैं वर्ष 1993 से इस जमीन की देखभाल कर रहा हूं। इस जमीन पर आधे भाग पर मेहन्दी की फसल बोई है और आधी जमीन पर सावणु फसल की खेती होती है। वादग्रस्त भूमि किसके नाम से आवंटनसुदा है मुझे पता नहीं है। अजखुद कहा वर्ष 1993 से मैं इस जमीन की देखभाल करता हूं। यह जमीन काना, जीता पुत्र झाला जातिगण बावरी के नाम से दिनांक 21–06–1965 से आंवटन सुदा हो तो मुझे मालुम नहीं है। कब्जा हमारा है। प्रदर्श–ए1 आवंटन आदेश के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। सन् 1965 से लेकर वादग्रस्त जमीन कुर्क हुई तब तक नरसींग पुत्र झाला व काना पुत्र झाला का कब्जा काश्त नहीं था। कुर्क से एक साल पहले मैंने इस काश्त की है। मैंने काश्त की उसका कोई

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

कागज पेश नही किया। यह बात सही है कि कुर्क होने बाद वादग्रस्त भूमि पर खड़ी मेहन्दी की फसल को राज्य सरकार नीलाम करती है। अब इसकी कुर्क हटा दी है। कुर्क कब हटी यह पता नही पर वर्ष 1996 में कुर्क हटाई है। साल भर पहले 145 सी.आर.पी.सी. के मामले का फैसला हुआ होगा तो मुझे मालुम नहीं

12. वादी पक्ष के गवाह श्री तेजराज पुत्र श्री भंवरलाल जाति जैन निवासी ममता होटल सूरजपोल, पाली ने अपने बयान में बताया कि पाली के नयागांव में सरहद पाली चक II के खसरा नंबर 539 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। जो मेरे रिश्तेदार सोहनलाल जी को अलोट हुई थी। सोहनलाल जी गुजर चुके है। सोहन जी के गुजरने के बाद उनके वारिस अशोक कुमार, अरूण कुमार, वरूण कुमार, सुचित्रा जैन का कब्जा पैतृक अधिकार से हुआ और उनके नाम खातेदारी दर्ज हुई। सोहनलालजी का देहान्त सन् 1976 में हुआ तारीख महिना मुझे ध्यान नहीं है। मैं उक्त जमीन की देखभाल करने आता जाता रहता था। सन् 1992 में कानाराम बावरी के पुत्रों व उसकी लुगाई ने झगड़ा किया था और इस जमीन को अपनी बताते हुए कब्जा करने का प्रयास किया गया। तब मेहंदी की फसल खड़ी थी जिसे काटकर ले गये और कुछ मेहन्दी को उखाड़ कर ले गये। जिस पर पर पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। पुलिस थाना सदर, पाली में चारी की रिपोर्ट पेश की थी। इस जमीन की देखभाल मेरे भाई करणराजजी मुख्तियार की हैसियत से करते थे और आज भी करते है झगड़ा करने व फसल काटने में जालाजी का लड़का कूका, जीताजी का लड़का बाबू, हजारी और मंगला व उसकी औरत शांति फिर का पुत्री शांति शामिल थे। पुखिया का लड़का उम्मेदा भी उक्त वारदात में शामिल था। उम्मेदा की बहन मंजला और माता हंजा भी शामिल थे। जिन्होंने जमीन पर जबरन प्रवेश कर कब्जा करने की धमकी दी। ये सब बाड़ तोड़कर अंदर घुसे थे। यह घटना सर्दियों की है। महिना तारीख मुझे याद नहीं हैं उस बाबत मैं व मेरा भाई प्रदीप भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने 1994 के सितम्बर महिने में मेहन्दी काटने हेतु अंदर घुसे थे। मगर हमने रोक दिया था। उस समय पड़ौसी हीराराम भी मौके पर आया था। रोज के झगड़ों से तंग आकर सोहनजी के वारिसान अशोक, वरूण, अरूण वगैरह ने यह मुकदमा किया था। इस जमीन पर सोहनलालजी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

13. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की सुनी गई।

14. विद्वान अभिभाषक वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का वादीगण के पिता स्वर्गीय श्री सोहनराज उर्फ सोहनलाल को दिनांक 28–06–1973 को आंवटन हुई थी तथा खातेदारी अधिकार 1983 में प्रदान किये गये थे। सोहनराजजी के वर्ष 1976 में देहान्त के पश्चात् वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि पर काबिज कास्त है। वादग्रस्त भूमि पर मेहंदी की फसल सोजत के मालियों को बुलवा कर लगाई गई थी। वर्ष 1992 में वादीगण की जमीन से प्रतिवादीगण द्वारा बाड़ हटाकर बबूल के पेड़ काटे व मेहंदी की फसल की चोरी की जिसका मुकद्दमा संख्या 65/92 धारा 379, 447 सी.आर.पी.सी. में दर्ज हुआ। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि को अपनी बता कर मौके पर झगड़ा टंटा किया था। वादग्रस्त भूमि के खातेदारान ने करणराज पुत्र श्री भंवरलाल जैन को अपना मुख्तियार नियुक्त करने से यह वाद जरिये मुख्तियार प्रस्तुत किया गया। तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने का जिम्मा वादीगण रखा गया जिन्हें वादीगण ने गवाह के बयानात कलमबद्ध करवा कर पूर्ण रूप से साबित किया है। तनकी संख्या 3 व 4 को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 2 का रखा गया परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकियात को साबित करने हेतु न तो किसी प्रकार की शहादत प्रस्तुत की गई तथा न ही दस्तावेज को प्रदर्शित करवाया गया इस कारण तनकी संख्या 3 व 4 को साबित कर पाने में प्रतिवादीगण असफल रहे है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वादीगण के पक्ष में डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार वादीगण है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण एवं हस्तक्षेप प्रतिवादीगण नहीं करें।

15. विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के भाई काना व जीता के नाम से दिनांक 21–06–65 को आंवटित हुई थी उस वक्त प्रतिवादी व उसके भाई संयुक्त परिवार के सदस्य थे और भाई बंट में उक्त वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी के बंट में आई तब से लेकर प्रतिवादी संख्या 2 नरसिंग का ही उस पर कब्जा व कास्त चला आ रहा है। वादीगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा कास्त नहीं है तथा न कभी सोहनराज का रहा है। एडवर्स पजेशन के सिद्धान्तों के अनुसार भी प्रतिवादी संख्या दो कानूनन खातेदार हो चुका है।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 2 को वादग्रस्त भूमि का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे तथा वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

16. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख गिरदावरी संवत् 2044 से 2047 की नकल प्रदर्श इएक्स–1 में खातेदार का नाम सोनराज पुत्र पुसराज कौम ओसवाल दर्ज है संवत् 2044 में पड़त, 2043 में 10 बीघा में मेहन्दी व 10 बीघा में ज्वार संवत् 2046 में 10 बीघा में मेहन्दी व 11 बीघा 14 बिस्वा में ज्वार की फसल दर्शाई हुई है। संवत् 2048 से 2051 तक खसरा गिरदावरी की नकल इएक्स–2 में सोनराज वल्द पुसराज कौम ओसवाल खातेदार दर्ज एवं फसल मेहंदी दर्ज है। इसी तरह संवत् 2031 से 2034, संवत् 2035 से 2038, 2039 से 2042 की गिरदावरी में मेहन्दी की फसल दर्ज है एवं खातेदार सोहनराज वल्द पुसराज जाति ओसवाल प्रदर्श–3 में दर्ज है। विवादित आराजी की जमाबंदी की नकल संवत् 2031 से 34, 2035 से 2038, 2039 से 2042, 2044 से 2047, संवत् 2048 से 2051 प्रदर्श–4 में खातेदार सोहनराज वल्द पुसराज जाति ओसवाल दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2022 से 2031 में दस वर्षीय काना, जीवा पि0 झाला बावरी सा0 देह आंवटन 2022 दर्ज है तथा कॉलम संख्या 12 पर ना0सं0 365 सोहनराज पुत्र पुसराज ओसवाल सा0 देह के नाम दर्ज करने का तथा कॉल संख्या 17 पर ना0सं0 324–28 **आंवटन निरस्त किया सरकार आराजी मानी जावे** का इंद्राज है। खातेदार द्वारा दी गई पॉवर ऑफ एटोर्नी प्रदर्श–5, प्रदर्श–6, प्रदर्श–7 है। नियमन आदेश से भरा गया नामा0 इएक्स–8 के अनुसार खसरा नंबर 539 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि सोहनराज पुत्र पुसराज ओसवाल सा0 पाली के नाम उप जिलाधीश पाली के आदेश कमांक निल दिनांक 28–06–73 के आधार पर भरे जाने का इंद्राज है। इएक्स–9 श्रीमान् अतिरिक्त जिलाधीश महोदय, पाली के न्यायालय के राजस्व विविध मु.नं. 582/81 अनवार सरकार बनाम सोहनराज पुत्र श्री पुसराज जाति ओसवाल निवासी में पारित आदेश दिनांक 02–03–83 की प्रमाणित प्रति है जिसके अनुसार पाली चक 2 में खसरा नंबर 539 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा का दिनांक 28–06–73 को अप्रार्थी श्री सोहनराज पुत्र श्री पुसराज जाति ओसवाल को किये गये आंवटन को निरस्त करवाने हेतु तहसीलदार, पाली द्वारा राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को आंवटन नियमानुकूल होने से तहसीलदार का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाकर अप्रार्थी का आंवटन बहाल रखा गया।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद में कायम तनकियात का तनकी अनुसार निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1. आया के पद संख्या एक में वर्णित भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे? (वादीगण)

तनकी संख्या 1 को साबित करने का जिम्मा वादीगण के जिम्मे रखा गया था। वादीगण ने इस तनकी को साबित करने हेतु गवाहान के बयानात को कलमबद्ध करवाया गया है तथा वाद में प्रस्तुत दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है। उक्त दस्तावेजात में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्श–9 है जिसके अनुसार श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आंवटन को नियमानुकूल मान कर आंवटन को बहाल रखा गया है। प्रदर्श–1 से प्रदर्श–4 संवत् 2031 से 2051 की गिरदावरीयों एवं जमाबंदीयों में सोहनराज पुत्र पुसराज कौम ओसवाल खातेदार दर्ज है तथा बहस के दौरान विद्धान अभिभाषक वादीगण द्वारा संवत् 2072 से 2075 की जमबांदी के खाता संख्या 22 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार वर्तमान में खसरा नंबर 539 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा भूमि के खातेदार अशोक कुमार पुत्र सोनराज हि0 1/4 सुचित्रादेवी पुत्री सोनराज हि0 4/4 कौम ओसवाल सा0 देह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार तनकी संख्या 1 को साबित करने में वादीगण पूर्ण रूप से सफल रहे है।

अतः तनकी संख्या 1 को वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

2. आया वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है? (वादीगण)

वादग्रस्त भूमि के संबन्ध में तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में तय किये जाने से वादीगण वादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार होने से प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार से हस्तक्षेप एवं दखलदस्तंदाजी करने का अधिकार नहीं रह जाता है।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

है। अतः तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती

3. आया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं होने से वाद काबिल खारिज है? (प्रतिवादी 2)

तनकी संख्या 3 को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 2 का था परन्तु प्रतिवादीगण ने उक्त तनकी को साबित करने हेतु किसी प्रकार की कोई शहादत प्रस्तुत नहीं की तथा न ही किसी दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 तनकी संख्या 3 को साबित कर पाने में पूर्ण रूप से असफल रहा है।

अतः तनकी संख्या 3 को वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

4. आया वादग्रस्त भूमि 21–06–65 को अप्रार्थी संख्या 2 व उसके भाई को आंवटित हुई थी जो भाई बंट में अप्रार्थी संख्या 2 को प्राप्त हुई – (प्रतिवादी संख्या 2)

तनकी संख्या 4 को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 2 पर रखा गया था। इस तनकी को साबित करने हेतु प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार का कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 उक्त तनकी को साबित कर पाने में पूर्ण रूप से असफल रहा है।

अतः तनकी संख्या 4 को वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा पाली चक II में स्थित खसरा नंबर 539 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 13 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है वे किसी प्रकार का अतिक्रमण एवं हस्तक्षेप न तो स्वयं करें तथा न ही अपने अधीनस्थ किसी नौकर चाकर एवं ऐजेंट इत्यादि के माध्यम से ही करावें। डिक्री परचा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

6. यह आदेश आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' -1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उप जिला कलेक्टर, पाली

इजलास– श्री रोहिताश्त सिंह तोमर, (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 16 सन् 2002

वादीगणः–

1. श्री अशोक कुमार

2. श्री अरूण कुमार पुत्रगण श्री सोहनराज ओसवाल निवासी वीर दुर्गादास नगर, पाली
3. श्रीमती मीता पुत्री श्री सोहनराज जाति ओसवाल निवासी पाली हाल 1/3 डी–1 मोडल टाउन, नई दिल्ली (भारत)
4. श्रीमती सुचित्रा देवी पुत्री सोहनराज जाति ओसवाल निवासी पाली बी–90 वीर दुर्गादास नगर, पाली (राज0)
5. श्री वरूण कुमार पुत्र श्री सोहनराज ओसवाल निवासी पाली हाल 123 डी–मोहड टाउन, नई दिल्ली (भारत) जरिये आम मुख्तियार श्री करणराज पुत्र श्री भंवरलाल ओसवाल गोलेच्छा निवासी –बी 90 वीर दुर्गादास नगर, पाली (राजस्थान)

बनाम प्रतिवादीगणः–

1. मृतक काना पुत्र झाला जाति बावरी निवासी नयागांव, पाली के कायम मुकामः–
   - 1/1 मेतकी बेवा काना
   - 1/2 भंवरिया वल्द काना
   - 1/3 शंकरिया वल्द काना
   - 1/4 किस्तुरा पुत्र काना
   - 1/5 बिदामी पुत्री काना
   - 1/6 जसोदा पुत्री काना
   - 1/7 राधा पुत्री काना जातिगण बावरी निवासीगण नयागांव, पाली
2. मृतक नरींग उर्फ नरसिंग के पुत्र जालाजी जाति बावरी निवासी नयागांव तहसील पाली के कायम मुकामः–
   - 2/1 सुआ बेवा नरींग उर्फ नरसिंह
   - 2/2 मदन पुत्र स्व0 नरींग उर्फ नरसिंह
   - 2/3 पेमा पुत्र स्व0 नरींग उर्फ नरसिंह
   - 2/4 टिमरिया पुत्र स्व0 नरींग उर्फ नरसिंह जातिगण बावरी निवासीगण नयागांव तहसील व जिला पाली (राज0)
3. मृतक नाथा के कायम मुकामः–
   - 3/1 चेनाराम पुत्र नाथाजी उम्र बालिग
   - 3/2 मूलाराम पुत्र नाथाजी उम्र बालिग
   - 3/3 बंशीलाल पुत्र नाथाजी उम्र बालिग जातिगण बावरी निवासीगण नयागांव पाली तहसील व जिला पाली
   - 3/4 श्रीमती गीता पुत्र नाथाजी जाति बावरी निवासी नयागांव हाल–खारडी (जाडन)

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला–पाली (राज0)

4. कुका पुत्रगण झालाजी जातिगण बावरी
5. श्रीमती केसी विधवा झालाजी जाति बावरी
6. बाबू पुत्र जीता
7. हजारी पुत्र जीता
8. मंगला पुत्र जीता
9. शान्ति पत्नि डूंगाराम पुत्री जीता
10. श्रीमति अणचाई विधवा जीता
11. उम्मेदा उर्फ उमेदो पुत्र शंकरजी
12. मिजला पुत्री पुखीया पत्नि शंकरजी
13. श्रीमती हंजा विधवा पुखीया सभी जाति बावरी निवासीगण नयागांव तहसील व जिला पाली (राज0)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसील राजी पाली (भूमिधारी)

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मदनलाल सोनी, विद्वान अभिभाषक वादीगण बहाजरी मिनजानिब मुद्दई व श्री मोहम्मद अयुब, विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा पाली चक II में स्थित खसरा नंबर 539 रकबा 21 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल वादीगण की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 13 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है वे किसी प्रकार का अतिक्रमण एवं हस्तक्षेप न तो स्वयं करें तथा न ही अपने अधीनस्थ किसी नौकर चाकर एवं ऐजेंट इत्यादि के माध्यम से ही करावें।

नीज.....शून्य..... मुबलिग .....शून्य.... बाबत.....शून्य.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....शून्य.....फीसदी आज की तारीख से वसूलयानी तक .....शून्य..... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 06 सन् 2019 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

कृ.पृ.उ.

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीनामा	–	–	स्टाम्प वकालतनामा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प हाजरी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर	–	–
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर	–	–
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफरिक	–	–
मुतफरिक	–	–	–	–	–
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर जो फरीकेन का, चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner